...को तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को खेती के साथ-साथ सोलर पावर उत्पादन, हनी प्रोसेसिंग और जूट उद्योग जैसे नए क्षेत्रों से जोड़ने का निर्देश दिया।

पंचायतों में पारदर्शिता व डिजिटल सेवाओं पर जोर: पंचायती राज विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह, महिला हिंसा और हेल्पलाइन नंबरों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा। पंचायत भवनों में ठोस कचरा प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने, गीले और सूखे कचरे को अलग करने तथा प्लास्टिक पुनर्चक्करण पर भी बल दिया। सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवालयों में लोगों को समय पर सभी सेवाएं मिलनी चाहिए। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं के विस्तार, शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रभावी तरीके से लागू करें।

ारोप: OSM का काम ब्लैक लिस्टेड...

ाई ने कहा, 'कॉपी की डिजिटल जांच के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगस्त 2025 को सेंट्रल पब्लिक प्रॉक्योरमेंट पोर्टल पर जारी कर योग्य डर को ठेका दिया गया।' हालांकि सीबीएसई के सूत्रों ने बताया कि ठेका एम्ट एडुटेक को ही दिया गया है। कंपनी चुने जाने को लेकर लगाए गए रोप निराधार है।

से वाले ऑनलाइन गेम पर बैन सही...

ं रमी, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेम भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट किया है कि कोई गेम स्किल पर हो या चांस पर, अगर उसमें पैसा ता है तो राज्य सरकारें उसे रेगुलेट कर सकती हैं।

लनाडु और कर्नाटक पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु 2020 में लाइन दांव वाले गेम्स पर रोक के लिए ऑर्डिनेंस लाया, जिसे 2021 कानून बनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त 2021 में इसे रद्द कर दिया। टक सरकार ने भी 2021 में ऑनलाइन दांव, टोकन, इलेक्ट्रॉनिक फर को कानूनी दायरे में लाया लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 से रद्द कर दिया। इसके बाद दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

रल के पूर्व सीएम विजयन के घर ईडी...

री 2019 में आयकर विभाग ने सीएमआरएल पर छापा मारा इसी दौरान करीब फर्जी खर्चों का पता चला था। सीएमआरएल नकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के सामने भी फर्जी खर्चों की स्वीकार की थी। सीएमआरएल के एमडी शशिधरन एक अन्य ी एम्पॉवर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रालि भी चलाते हैं। इस ी ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपए का कर्ज दिया था। लेकिन लॉजिक वह भी नहीं चुका पाई। ईडी का दावा है कि सीएमआरएल वीणा ने अपराध से संपत्ति अर्जित की। आयकर विभाग के स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के मुताबिक, सीएमआरएल ने र्षों में 182 करोड़ रुपए के काल्पनिक नकद खर्च दिखाए। आएल द्वारा एक्सालॉजिक को बिना किसी सेवा पेमेंट किए जाने रोपों ने केरल में जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। लगातार विजयन पर निशाना साध रहा था और उनके परिवार दिग्ध वित्तीय सौदों से फायदा उठाने का आरोप लगा रहा था। यह विजयन सरकार के सामने आए सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से शील विवादों में से एक रहा है।

ास्कर इनसाइट विजयन के पावर सेंटर से जगी, विकास मॉडल की जांच हो सकती है

छापे ने केरल की राजनीति के अंदरखाने चल रहा संघर्ष उजागर या है। पार्टी के भीतर उत्तराधिकार और नेतृत्व को लेकर सवाल गए हैं। पार्टी नेताओं में नाराजगी है कि पूरी सत्ता विजयन तक गई है। सरकार के कुछ हिस्सों तथा कॉर्पोरेट हितों के बीच बढ़ती ी भी चुभने लगी है। इस विवाद ने विजयन के कार्यकाल के केरल के विकास मॉडल की जांच को फिर से तेज कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, खनन और तटीय परियोजनाओं में बड़ी पनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर जांच का दायरा बढ़ सकता है।

PR.NO.380876 Jharkhand Academic Council(26-27):D

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

बिक्री की घोषणा

फॉर्म सं. 22 [विनियम 37(1) देखें]

वसूली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, झारखण्ड

वसूली प्रक्रिया सं. 304/2024

वाद सं. ओ. ए. वाद सं. 198/2021

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए बकाये ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की घोषणा

पंजाब नेशनल बैंक, प्रथम तल, फिरायालाल बिल्डिंग, राँची बनाम मेसर्स द ARC फर्नीचर एवं अन्य

सेवा में,

(1). **मेसर्स द ARC फर्नीचर, प्रोपराइटर श्रीमती चंचल देवी,** पति श्री राम कुमार, R/o – बिजुलिया तालाब रोड, दीनबंधु नगर, रानी सती मंदिर के निकट, रामगढ़ कैंट, रामगढ़ – 829122

(2). **श्रीमती चंचल देवी, प्रोपराइटर मेसर्स द ARC फर्नीचर,** पति श्री राम कुमार, R/o – फ्लैट नं. 101, ब्लॉक नं. 21, सेक्टर – 1, खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, होटवार, रांची – 834009

(3). **श्री गिरीश कुमार,** पिता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह, R/o – बिजुलिया तालाब रोड, दीनबंधु नगर, रानी सती मंदिर के निकट, रामगढ़ – 829122

1. जबकि आप प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान करने योग्य ब्याज एवं लागत सहित **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण,** रांची द्वारा जारी किये **2021 का ओ.ए. वाद सं. 198** में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके द्वारा भुगतेय **रू. 41,53,788.00/- (रुपये इकतालीस लाख तिरपन हजार सात सौ अठासी मात्र)** की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

2. और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में नीचे के अनुसूची में उल्लेखित संलग्न संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. और जबकि **29.04.2026** को प्रमाण पत्र के अनुसार, रु. 44,000/- (रुपये चवालीस हजार मात्र) की लागत के अलावा पूरा एवं अंतिम वसूली तक पेंडेंटेलाइट और 01.08.2021 से 12.10% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित **रू. 41,53,788.00/- (रुपये इकतालीस लाख तिरपन हजार सात सौ अठासी मात्र)** की राशि बकाया होगा।

4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, स्थगन के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, उक्त संपति को **08.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ वैबसाइट https://www.baanknet.com (PSB Alliance Private Limited) के माध्यम से "ऑनलाइन ईलेक्ट्रोनिक बोली" से ई-नीलामी और बोली** द्वारा बेचा जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें : वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची. संपर्क सं. 065-224021 एवं सम्पत्ति नीरीक्षण के लिये श्री संजीव कुमार, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ARMB शाखा, राँची, मोबाइल सं. 7300705205 से संपर्क करें।

4.1 नीचे वर्णित अनुसूची में उपरोक्त नाम वाले प्रमाणपत्र देनदार की संपत्ति बेची जायेगी और उक्त संपति से जुड़े हुए दायित्व और दावे जो कि सुनिश्चित किये गये हैं उनका विवरण अनुसूची में प्रत्येक लॉट के समक्ष वर्णित है।

4.2 अनुसुची में वर्णित लॉट के अनुसार संपत्ति की बिक्री की जायेगी। यदि संपत्ति की एक अंश की बिक्री से होने वाली वसूली राशि से संतुष्टि होती है बाकी संपत्ति की बिक्री तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रुक जायेगी यदि किसी लॉट में नीलामी बोली खत्म होने के संकेत होंगे, उक्त में वर्णित बकाया, ब्याज, लागत (बिक्री की लागत समेत) बिक्री संचालित करने वाले पदाधिकारी के समक्ष जमा कर दिये जायें या उनकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित कर दिया जाये कि उस सर्टिफिकेट की राशि, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

4.3 बेची जानी वाली संपत्ति पर अन्य व्यक्ति के किसी भी अधिकारी या जो बिक्री प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते है, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से बोली लगाने, अधिग्रहण का प्रयास करने का सरोकार नहीं है। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 96 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों के तहत और इसके बाद के नियमों के अधीन होगी।

4.4 अधोहस्ताक्षरी के श्रेष्ठ सूचना के अनुसार उल्लेखित अनुसुची में विवरणों को शामिल किया गया है लेकिन किसी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण या इस घोषणा में किसी तथ्य के चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होगा।

5. (ए) **विवरण के अनुसार** आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी।

सम्पत्ति का विवरण अनुसूची 'A'	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
बंधक रखी गई भूमि के सभी भाग, जो प्लॉट सं. 940, खाता सं. 94, वार्ड सं. 8, क्षेत्रफल – 3 डिसमिल, ग्राम – रामगढ़ कैंट, थाना सं. 82, अंचल – रामगढ़ कैंट, जिला – रामगढ़ में स्थित है तथा जिसकी **सीमाएँ इस प्रकार हैं** – उत्तर : अकलू महतो एवं अन्य, दक्षिण : सड़क, पूर्व : रविन्द्र कुमार रवि, पश्चिम : अरुण कुमार। उक्त बंधक संपत्ति श्री गिरीश कुमार, प्रमाण-पत्र देनदार संख्या – 3 के नाम पर बिक्री विलेख संख्या 1605 दिनांक 22.04.2009 के माध्यम से दर्ज है।	रू. 29,32,500/-	रू. 2,93,250/-

6. इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी जमा करने की आवश्यकता होगी साथ में पैन कार्ड, पहचान पत्र, पता के लिए प्रमाणपत्र इत्यादि जमा करना होगा और कंपनी होने पर, बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि या कंपनी के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाला कोई भी अन्य दस्तावेज़/ कंपनी का अटॉर्नी भी जमा करना होगा, इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में अद्यतन 06.07.2026 को 04:00 बजे तक या इससे पहले तक जमा करना है और उसके बाद वे 08.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। यदि नीलामी के अंतिम समय में अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

7. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वसूली अधकिारी, डीआरटी, रांची के खाते में **RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFSC कोड : SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, राँची** जमा करानी होगी।

8. बोली प्रपत्र के साथ ईएमडी की रसीद **वसूली अधिकारी के कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवी मंजिल, आर.आर.डी.ए. बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची** में जमा की जाएगी।

9. वह राशि जो बोली लगाने के लिए बढ़ाई जाएगी **अनुसूची 'A' के लिए रुपये 1,00,000/-** होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के रुप में उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद की सिथित में लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा।

10. असफल बोलीकर्ता ई-नीलामी की प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद ईएमडी राशि कार्यालय, वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

11. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली/ बिक्री राशि के 25% "वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची", के पक्ष में **RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFSC कोड : SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, राँची** में मे देय होगा। इसे अगले बैंक कार्य दिवस यानि शाम 04:00 बजे तक इस ट्रिब्यूनल के पास जमा करना होगा। इसमें विफल रहने पर ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

12. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री राशि का शेष 75% वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। इसे संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले "वसूली अथकिारी, डीआरटी, रांची", के पक्ष में **RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFSC कोड : SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, राँची** में मे देय होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन होता है तो इस दिन को छोड़कर 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस में रु. 1,000/- तक 2% की दर से और रु. 1,000/- के उपर कुल राशि 1% की दर से पाउंडेज रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष में जमा करना है। (अगर डाक के माध्यम से शेष 75% राशि जमा करने के मामले में, उपरोक्त के अनुसार वसूली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए)।

13. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने के स्थिति में, बिक्री की नयी घोषणा जारी होने के उपरांत, संपति को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री का खर्च निकालने के बाद, यदि अद्धोहस्ताक्षरी के द्वारा जब्त कर सरकार के पास जमा कर सकते है तो चूक करने वाले क्रेता को उस राशि के किसी भी हिस्से के लिए सभी दावे खारीज हो जायेंगे जिसके की इसको बाद में बेचा जाएगा।

14. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली लगाई गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। इस उच्चतम बोली को अस्वीकार /स्वीकार करने का निर्णय अद्धोहस्ताक्षरी का होगा, जबकि पेश कि गई कीमत इतनी स्पष्ट रुप से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि ऐसा करने के लिए उसे अनुपयुक्त बना दिया जाए।

15. संपत्ति जैसी है और जहाँ है/ जो है/ बिना शिकायत के आधार पर बेची गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है/ आगाह किया जाता है कि वे SRO के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों को सत्यापित करें और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति, विवरण, स्थिति, अदिभार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। सरकार/ स्थानीय निकाय को देय सांविधिक देय/दायित्व आदि, यदि कोई हो, जो बिक्री सूचना /निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए है, क्रेता(ओं) द्वारा वहन किए जाएंगें।

16. **कब्जे की सुपुर्दगी :** नीलामी क्रेता द्वारा सभी खर्चों और प्रासंगिक शुल्कों को वहन किया जाएगा। प्रमाणपत्र धारक बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बिक्री आय के विनियोग के अनुरोध पर केवल नीलामी क्रेता द्वारा स्वामित्व विलेख प्राप्त करने और संपत्ति का कब्जा देने का मेमो दाखिल करने पर ही विचार किया जाएगा।

17. अद्धोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी बोली को यदि अनुचित पाया गया तो स्वीकार/अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित करने का अथकिार सुरक्षित रखता है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण के मुहर से रांची में 29 अप्रैल, 2026 को जारी।

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

वसूली अधिकारी-II

र्यपालक अभियंता
ल संख्या–1, दुमका

OPMENT

34004

ment)
.2026

gh e-Procurement from
ernment/State /Central
works (List of schemes
ram Sadak Yojna PM-

Total Package Cost (in lakhs)	Earnest Money (In Lakh)	Time of Completion (in month)
10	11	12
848.14	16.96	15
93.81		

. The bidders should

& time of opening (on-line) of tender	
bid	Financial bid
	9
6 M	To be informed later

get registered in

ng Document.
Sheet) shall be
be treated non

ded any false/
feiture of Bid

ol (including

ion of earlier

R on which

of technical
nly through
ered.
r EPF and

indicated

e time of

reason.
dersjhr.

PR 380933 (District)26-27*D

SALE PROCLAMATION

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER IN THE DEBTS RECOVERY [illegible] TRIBUNAL, JHARKHAND AT RANCHI

RECOVERY PROCEEDING No. 304 of 2024

IN CASE NO. O.A. Case No. [illegible] of 2021

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES [illegible] OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT 1993

Punjab National Bank, 1st Floor, [illegible] Building, Ranchi Vs. M/s The ARC Furniture & Others

To,

(1). M/s The ARC Furniture, Proprietor [illegible] **Devi,** [illegible] Road, Dinbandhu Nagar, Near Rani Sati Mandir, Ramgarh [illegible]

(2). Mrs. Chanchal Devi, Proprietor M/s The ARC **Furniture,** [illegible] Flat No. 101, Block No. 21, Sector [illegible] Khelgaon Housing Complex, Hotwar Ranchi [illegible]

(3). Sri Girish Kumar, S/o Anirudh Kumar [illegible] Talab Road, [illegible] Nagar, Near Rani Sati Mandir, Ramgarh [illegible]

(1). Whereas you have failed to pay the sum of [illegible].00 (Rupees [illegible] Lakh Fifty Three Thousand Seven Hundred Eighty **Eight Only)** payable by you in respect of Recovery [illegible] in **O.A. Case No. [illegible] of 2021** issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi along with the interest and costs [illegible] per the certificate.

(2). And whereas the undersigned has ordered the [illegible] attached property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate.

(3). And whereas as on the **29.04.2026** there [illegible] under a sum of **Rs. 41,53,788.00 (Rupees Forty One Lakh Fifty Three Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only)** [illegible] pendentelite and future interest @ 12.10% compound interest monthly from 01.08.2021 till full and final realization of the claim [illegible] of Rs. 44,000/- (Rupees Forty Four Thousand Only), as per the certificate.

(4). Notice is hereby given that, in the absence of [illegible] postponement, the said property shall be sold by **e-auction and bidding shall take place through "Online Electronic Bidding"** [illegible] **website https://www.baanknet.com (PSB Alliance Private Limited) on 08.07.2026 between 11:00 AM to 12:00 Noon** [illegible]**sion of 5 minutes duration after 12 noon if required.**

For further details contact : Office of the Recovery [illegible] **Recovery Tribunal, Ranchi,** Contact **No. 0651-2214021 and for property inspection contact Sri Sanjeev Kumar, Chief Manager,** [illegible] **National Bank, ARMB Ranchi,** Mob. **No. 7300705205.**

4.1 The sale will be of the property of the certificate [illegible] named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property so far as they have been [illegible] are those specified in the schedule against each lot.

4.2 The property will be put up for the sale in the [illegible] the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately [illegible] respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, [illegible] costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the [illegible] certificate, interest and costs have been paid to the undersigned.

4.3 No officer of other person, having any duty to perform [illegible] with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The [illegible] subject to the conditions prescribed in the Second Schedule of the Income tax Act, 1961 and the rules made there under [illegible] following conditions.

4.4 The particulars specified in the annexed schedule [illegible] to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis[illegible]on in this proclamation.

(5). The reserve price below which the property shall [illegible] details.

Details of Properties

Schedule 'A'

Description	Reserve Price	EMD
All that piece and parcel of mortgaged land situated [illegible] Khata No. 94, Ward No. 8, Area:- 3 Decimal, Village:- Ramgarh Cantt., Thana No. 82, Anchal:- Ramgarh [illegible] District:- Ramgarh, **Bounded by:-** North:- Aklu Mahto & Other, South:- Road, East:- Ravindra Kumar [illegible] Kumar. The said mortgaged properties standing in the name of Girish Kumar, Certificate Debtor [illegible] Deed No. 1605 dated 22.04.2009.	Rs. 29,32,500/-	Rs. 2,93,250/-

(6). **The interested bidders are required to deposit EMD** [illegible] **PAN Card, Identity Proof, Address Proof etc. and in the case of company, copy of resolution passed by the** [illegible] **of the Company or any other documents claiming representation / attorney of the company also, latest by** [illegible] **PM in the office of the Recovery Officer, DRT, Ranchi and thereafter they shall be eligible to participate in the e-**[illegible] **from 11.00 AM to 12.00 Noon on 08.07.2026. In case, bid is placed in the last 5 minutes of the closing time** [illegible] **closing time will automatically get extended for 5 minutes.**

(7). The intending bidders shall pay the EMD amount in the [illegible] DRT, Ranchi **through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, IFS Code : SBIN0007507, State Bank** [illegible] **Branch, Ranchi.**

(8). The receipt of EMD along with bid form shall be deposited before [illegible] **Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal, 5th Floor, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi.**

(9). The amount by which the biddings **are to be increased shall** [illegible]**/- in Schedule 'A'** in the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again [illegible] auction.

(10). The unsuccessful bidder shall take EMD directly from the Office of Recovery Officer, DRT, Ranchi immediately on closure of the e-auction sale proceeds.

(11). The successful/ highest bidder shall have to pay for 25% of the [illegible] amount after adjusting the EMD amount in the account of "Recovery Officer, DRT, Ranchi **through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 3159[illegible], IFS Code : SBIN0007507, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi.,** by next bank working day i.e. by 04:[illegible] with this Tribunal failing which the EMD shall be forfeited.

(12). The successful/highest bidder shall deposit in the account of "[illegible] Officer, DRT, Ranchi **through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, IFS Code : SBIN0007507, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi.** the balance 75% of the sale proceed before the Recovery Officer, DRT, Ranchi on or before 15th day from the date of auction of the property exclusive of such day or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day along with poundage @ 2% upto Rs. 1,000/- and @1% on the excess of such gross amount over Rs. 1,000/- in favour of Registrar, DRT, Ranchi (In case of deposit of balance amount of 75% through post, the same should reach the Recovery Officer as above).

(13). In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh Proclaimation of Sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeited all claims to the property of to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

(14). The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that furthur that the amount bid by him is not less than the Reserve Price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/ acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.

(15). The property is sold on as is and where is /on what it is/ no complaint basis. Bidders are advised/cautioned to verify with the SRO as well as the Revenue Records and shall satisty themselves regarding the nature, description, condition, encumbrance, lien, charge, statutory dues, etc. over the property before submitting their bids. Statutory dues/liabilities etc. due to the Government/Local Body, if any, shown in the sale notice/tender document shall be bone by the purchaser(s).

(16). **Delivery of Possession** : - All expenses and incidental charges thereto shall be borne by the auction purchaser. Request for appropriation of sale proceeds by the Certificate Holder Bank/Financial Institution will be considered only upon the auction purchaser filing a memo of having received the title deeds and delivered possession of the property.

(17). The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at anytime witheut assigning any reason.

Given under my hand and seal of this Tribunal at Ranchi on this 29th day of April, 2026

RECOVERY OFFICER II

[illegible] down at be[illegible] RaGa: Party [illegible]

▸Continued From P 1

If all goes to plan, Siddaramaiah's resignation would mark the culmination of a prolonged internal tussle that Congress has consistently played down. Party insiders familiar with the developments said Siddaramaiah agreed to step down at the behest of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, whom the veteran credits with backing him to become CM twice despite the presence of stronger contenders. Siddaramaiah had been maintaining all along that he would make way for a new face if Rahul asked him to do so. The Ahinda strongman has so far held office for eight years and 12 days across two terms, surpassing his mentor and backward class champion D Devaraj Urs.

For Shivakumar, Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra's backing played the decisive behind-the-scenes role in his likely elevation to the CM's post during Wednesday's discussions in Delhi, sources said.

They said Shivakumar, despi[illegible] nation[illegible] month[illegible] hul's e[illegible] range[illegible] was ex[illegible] CM n[illegible] govt's t[illegible] then re[illegible] who pe[illegible] and Co[illegible] Party [illegible] Gandhi [illegible] to the ch[illegible]

Senio[illegible] and adm[illegible] commiss[illegible] Deshpan[illegible] maiah ha[illegible] his decisi[illegible] though se[illegible] legislators [illegible] resign.

While [illegible] have offere[illegible] Rajya Sab[illegible] larger nati[illegible] party, the [illegible] keen to shift [illegible] sources said [illegible] ha nominati[illegible] til June 8, the [illegible] is expected [illegible] suading him.

(With inp[illegible] eep.Moudgal)

SC: Online gaming [illegible] are not mere facilit[illegible]

Continued From P 1

In Oct 2023, GST Council had imposed 28% tax on full face value of online gaming bets.

Gaming industry, however, has been advocating for the tax to be calculated on gross gaming revenue (GGR) rather than face value of bets.

Online gaming companies had received show-cause notices alleging GST evasion of Rs 1.12 lakh crore. As GST Act allows the department to impose a penalty of up to 100% of tax demand, the total liability will add up to around Rs 2.5 lakh crore.

Examining the issue threadbare, bench said online gaming firms are not mere facilitato[illegible] mediaries but [illegible] actionable clai[illegible] fore liable to p[illegible] sponding to sta[illegible] the companies t[illegible] erate skill-base[illegible] bench said that [illegible] based games a[illegible] character of be[illegible] gambling for GST [illegible] once money is sta[illegible] certain outcomes.

The issue was [illegible] lenged in Karnata[illegible] Court, which pass[illegible] der in favour of gam[illegible] panies. HC had s[illegible] rummy was a game [illegible] and that a company [illegible] it was not supplying [illegible] ble claims in the ma[illegible] leged by tax departm[illegible]

The apex court, h[illegible] set aside HC's order.